न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 129/2019 अपील (GCMS/2019/00153)
पंजीयन दिनांक - 27.11.2019
निर्णय दिनांक - 29.11.2021

1. **श्रीमती शान्ताबाई पुत्री श्री चुन्नीलाल पत्नि श्री भैरूलाल ब्राहमण (दमावत), निवासी युनिवर्सिटी रोड़, उदयपुर।**

-अपीलार्थी

बनाम

1. **श्रीमती कमला पुत्री श्री चुन्नीलाल ब्राहमण, निवासी नाई, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।**
2. **श्रीमती चुन्नीबाई पत्नि श्री चुन्नीलाल ब्राहमण, निवासी 77 ताम्बावती मार्ग, आयड़ मेनरोड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।**
3. **श्री भगवानलाल पिता श्री चुन्नीलाल ब्राहमण, निवासी 77 ताम्बावती मार्ग, आयड़ मेनरोड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।**
4. **श्री उंकारलाल पिता श्री चुन्नीलाल ब्राहमण, निवासी 77 ताम्बावती मार्ग, आयड़ मेनरोड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।**
5. **श्रीमती मनोहरबाई पुत्री श्री चुन्नीलाल पत्नि श्री मदनलाल ब्राहमण, निवासी 598 डी ब्लॉक, मालवीय नगर, जयपुर।**

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-

1. श्री तरूण जोशी - वकील अपीलार्थी
2. श्री पंकज भटनागर - वकील प्रत्यर्थी-1

प्रकरण संख्या-27/2016 बउनवानी श्रीमती कमला बनाम श्रीमती चुन्नीबाई व अन्य में न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.09.2019 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-76 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 29.11.2021

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या-27/2016 बउनवानी श्रीमती कमला बनाम श्रीमती चुन्नीबाई व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16.09.2019 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी-1 श्रीमती कमला द्वारा तहसीलदार, गिर्वा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या-29 दिनांक 20.01.1988 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत की और निवेदन किया कि मौजा आयड तहसील गिर्वा में स्थित आराजी नम्बर 890 से 898, 903 से 909 कुल किता 17 रकबा 2.4100 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसके खातेदार काश्तकार श्री खेमराज व चुन्नीलाल पिता अम्बालाल ब्राहमण थे।

उक्त भूमि में दोनों का आधा-आधा बराबर हिस्सा था। चुन्नीलाल के स्वर्गवास होने पर उसके वारिसान में उसकी पत्नि श्रीमती चुन्नीबाई, पुत्र श्री भगवानलाल व श्री उंकारलाल एवं पुत्रियां श्रीमती कमला, शान्ता व मनोहरीबाई थे। परन्तु तहसीलदार गिर्वा द्वारा श्रीमती कमला को सुने बिना व सूचना दिये बिना पत्नि श्रीमती चुन्नीबाई, पुत्र श्री भगवानलाल व श्री उंकारलाल ने पटवारी हल्का से मिलकर चुन्नीलाल के बजाय उक्त जमीन का नामान्तरकरण उनके नाम करवा लिया जबकि चुन्नीलाल के स्वर्गवास के उपरान्त उसकी पुत्रियां भी उक्त जमीन के वारिसान के हिसाब से मालिक काबिज होकर कानूनी खातेदार काश्तकार है, जिन्हे सुना जाना आवश्यक था। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत श्रीमती कमला व अन्य पुत्रियां प्रथम श्रेणी की वारिस थे, जिसके अनुसार सभी के नाम नामान्तरकरण खोल कर स्वीकृत किया जाना चाहिये था। अतः नामान्तरकरण संख्या 29 दिनांक 20.01.1988 निरस्त फरमाया जाकर चुन्नीलाल के समस्त वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना आवश्यक है।

- जिला कलक्टर, उदयपुर ने श्रीमती कमला द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 16.09.2019 पारित किया कि-

"बहस पर मनन करने उपरान्त न्यायालय का मत है कि ऐसे आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है जिस पर बिना नोटिस दिये गये कोई आदेश पारित कर दिया गया हो। हस्तगत प्रकरण में अपीलीय नामान्तरकरण पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को कभी कोई नोटिस नहीं देकर उनकी उपस्थिति में ही नामान्तरकरण पारित कर दिया गया। अतः अपीलार्थी का धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित है।

हस्तगत पत्रावली पर उपरोक्त दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि स्वर्गीय चुन्नीलाल जी वैध वारिसानों में रेस्पोडेंट सं. 1,2,3 के अलावा भी अपीलान्ट व रेस्पोडेंट सं.4 व 5 भी थे। चुन्नीलाल की मृत्यु के पश्चात खोले गये अपीलीय नामान्तरकरण में मात्र रेस्पोडेंट सं. 1,2,3 का ही नाम अंकित कर फैसल कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण में अपीलान्ट का नाम अंकित नहीं किया गया है। विरासत का नामान्तरकरण स्वीकार करते समय अधीनस्थ न्यायालय के लिए आवश्यक था कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वारिसों की सही जांच कर नामान्तरकरण फैसल करते। अपीलान्ट श्रीमती कमला स्वर्गीय चुन्नीलाल की विधिक वारिसान है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र श्रीमती चुन्नीबाई, श्री भगवानलाल, श्री औकारलाल के नाम ही नामान्तरकरण दर्ज कर फैसल किया गया है, जो कानूनी रूप से गलत है।

अतः अपील अपीलान्ट साबित होने से स्वीकार की जाती है। नामान्तरकरण सं.29 दिनांक 20.01.1988 ग्राम आयड तहसील गिर्वा का निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार गिर्वा को इस आशय के निर्देश के साथ पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्व. चुन्नीलाल पिता अम्बालाल ब्राहमण निवासी आयड के सही विधिक वारिसानों की जांच कर बाद पहचान नये सिरे से पुनः नियमानुसार नामान्तरकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही सम्पादित करें।"

अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.09.2019 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 25.11.2019 को मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय आरक्षित रखते हुए दिनांक 27.11.2019 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलार्थी एवं अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 29.11.2021 को सुनी गई। अन्य पक्षकारान बावजुद सूचना अनुपस्थित।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय समक्ष श्रीमती कमला द्वारा सही अंकन नहीं किया गया, उक्त भूमि अनेक बार विक्रय हो चुकी है और वर्तमान में कई खातेदार है। न ही श्रीमती कमला द्वारा वर्तमान खातेदारों को पक्षकार बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 30 वर्ष पश्चात प्रस्तुत मयाद बाधित अपील को विधि विरूद्ध स्वीकार कर लिया गया। नामान्तरकरण एक फोराफोरी कार्यवाही है, जिसके तहत स्वामित्व एवं विरासत का बिन्दु तय नहीं किया जा सकता है, कदाचित यदि श्रीमती कमला का कोई हक-हकुक वादग्रस्त आराजीयात में निहित है तो उसके घोषणा का वाद प्रस्तुत करना चाहिये एवं उक्त बिन्दु का निर्धारण साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर करवाया जाना आवश्यक है। वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में पूर्व में कई वाद संस्थित हो चुके है तथा वर्तमान में भी विभाजन एवं निषेधाज्ञा हेतु वाद विचाराधीन है, जिनकी जानकारी श्रीमती कमला को थी, परन्तु उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष इसका अंकन नहीं किया गया। श्रीमती कमला को यह स्पष्ट जानकारी है कि श्रीमती चुन्नीबाई द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के 1/2वे हिस्से में से 1/3 भाग की भूमि जो 0.4016 एयर को पंजीकृत दानपत्र से दिनांक 09.07.2001 को अपीलान्ट श्रीमती शान्ताबाई के पक्ष में निष्पादित किया है जिनका नामान्तरकरण भी स्वीकृत किया गया, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त योग्य है। श्रीमती कमला द्वारा प्रस्तुत अपील में सही एवं वास्तविक स्थिति का वर्णन नहीं किया है और स्वच्छ हाथों से अपील पेश नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.07.2019 को उपस्थित हुई और अधिवक्ता करने हेतु तथा अपील का जवाब प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया जिस पर आगामी पेशी दी गई परन्तु अपीलार्थी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण आगामी पेशी पर न तो अधिवक्ता नियुक्त कर सकी व न ही उपस्थित हुई। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा निर्णय पारित कर दिया गया, जिसकी जानकारी अपीलार्थी को होते ही अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। अन्त में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की उपरोक्त बहस के खण्डन में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा कथन किया गया कि प्रस्तुत अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई जिसकी देरी के कारण पर्याप्त एवं संतोषजनक नहीं है। स्वर्गीय चुन्नीलाल जी वैध वारिसानों में प्रत्यर्थी-1 भी है। चुन्नीलाल की मृत्यु के पश्चात खोले गये अपीलीय नामान्तरकरण में मात्र तीन लोगों का ही नाम अंकित कर फैसल कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण में श्रीमती कमला का नाम अंकित नहीं किया गया है। विरासत का नामान्तरकरण स्वीकार करते समय तहसीलदार के लिए आवश्यक था कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वारिसों की सही जांच कर नामान्तरकरण फैसल करते। श्रीमती कमला स्वर्गीय चुन्नीलाल की विधिक वारिसान है, परन्तु मात्र श्रीमती चुन्नीबाई, श्री भगवानलाल, श्री औकारलाल के नाम ही नामान्तरकरण दर्ज कर फैसल किया गया है, जो कानूनी रूप से गलत होने से जिला कलक्टर, उदयपुर

द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया और प्रकरण तहसीलदार को वारिसान की जांच नामान्तरकरण पारित करने हेतु रिमाण्ड किया। अपीलार्थीगण द्वारा अपने कथनों की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। आलौच्य नामान्तरकरण के निरस्त होने के उपरान्त तत्पश्चात की गई सारी कार्यवाही शून्य हो गई है। ऐसे में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

हमनें उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का गहनतापूर्वक अवलोकन एवं मूल्यांकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 उपस्थित हुए और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया जिससे अपीलार्थी द्वारा मयाद के संबंध में किये कथन उचित प्रतीत होते है। अतः प्रस्तुत अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है। दौराने अपीलीय कार्यवाही अपीलार्थी द्वारा यह उज्र प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालाय समक्ष प्रत्यर्थी-1 द्वारा असाधारण विलम्ब से अपील प्रस्तुत की थी जो मयाद के बिन्दु पर ही खारिज की जानी थी। उक्त आक्षेप पर जिला कलक्टर, उदयपुर अपने निर्णय में विस्तृत विवेचन कर उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को अन्दर मयाद शुमार की जिससे यह न्यायालय सहमत है।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन यह निर्विवादित स्थिति है कि स्वर्गीय चुन्नीलाल के वैध वारिसानों में सभी पक्षकारान (अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण) है। चुन्नीलाल के देहावसान के उपरान्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में नामान्तरकरण केवल वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी- 2 से 4 के नाम ही स्वीकृत किया गया जबकि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी-1 भी वैध वारिसान है। इस न्यायालय का यह मत है कि विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय सभी वैध वारिसान की जांच की जानी आवश्यक है, नामान्तरकरण स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व सभी वारिसान को सूचित जाकर उनको पर्याप्त सुनवाई अवसर प्रदान कर नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिए। अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व सभी वारिसानों को नहीं सुना गया जिससे वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी-1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील प्रस्तुत की गई और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त स्थिति के दृष्टिगत प्रकरण तहसीलदार, गिर्वा को प्रतिप्रेषित कर स्व. चुन्नीलाल के सही विधिक वारिसान की जांच कर बाद पहचान नये सिरे से पुनः नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पादित करनें के निर्देश पारित हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में किसी विधि का उल्लंघन अथवा अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग नहीं किया है। अतएवं आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत होने के कारण इसमें हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर का निर्णय दिनांक 16.09.2019 यथावत रखा जाता है। तहसीलदार गिर्वा को निर्देशित किया जाता है कि इस निर्णय की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर जिला कलक्टर, उदयपुर के निर्णय में प्रदत्त निर्देशों की पालना कर सभी वारिसान मय अपीलार्थी के आक्षेपों का निस्तारण करते हुए नियमानुसार निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें। निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर